राजस्थान सरकार

कार्यालय अतिरिक्त निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,

(साधारण बीमा निधि)

चतुर्थ तल, बीमा भवन, सवाई जयसिंह हाइवे, बनीपार्क, जयपुर–302016

Mail:- add.gis.sipf@rajasthan.gov.in

क्रमांक : F12(06)GIS/MMPBY/BSA/2025-26/ दिनांक :

कार्यालय आदेश 257

मुख्यमंत्री मंगला पशुबीमा योजना वर्ष 2024–25 की क्रियान्विति हेतु लॉटरी प्रक्रिया में चयनित पशुओं के सर्वे कार्य हेतु राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय द्वारा Base Line Survey Agency के चयन हेतु दिनांक 30.12.2024 को निविदा जारी की गई। निविदा में सफल बिडर के रूप में मैसर्स Sutra marketing and event LLP को बेसलाईन सर्वे कार्य हेतु चयनित कर योजना अन्तर्गत सर्वे कार्य किए जाने हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक:F1(03)GIS/STORE/MMPBY/2024-25/2877-90 दिनांक 03.02.2025 द्वारा मैसर्स Sutra marketing and event LLP को कार्य आदेश जारी किया गया। आवंटित कार्य को समय पर नहीं किये जाने पर विभाग द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 224 दिनांक 28.01.2026 जारी कर निविदा के अध्याय 7 बिन्दु संख्या 17 के अनुसार फर्म के द्वारा अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर फर्म को जारी किया गया कार्य आदेश निरस्त किये जाने के साथ–साथ फर्म द्वारा विभाग में जमा करायी गई कार्य सम्पादन प्रतिभूति कुल राशि रूपये 1.47 करोड को निविदा के अध्याय 5 के बिन्दु संख्या 3 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–द्वितीय के नियम संख्या 57 के प्रावधान के अनुसार जब्त की गई।

अतः राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) अधिनियम, 2012 की धारा 46 के बिन्दु संख्या 4 के तहत् मैसर्स Sutra marketing and event LLP को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है।

–ह.–

(हेम पुष्पा शर्मा)

निदेशक,

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,

जयपुर।

RajKaj Ref No.:
20941306

Signature valid

Digitally signed by Hem Pushpa Sharma
Designation : Director
Date: 2026.03.12 13:33:58 IST
Reason: Approved

क्रमांक:F12(06)GIS/MMPBY/BSA/2025-26/ 1972-2030 दिनांक : 12/3/2026

प्रतिलिपि :– निम्न का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
5. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, (सिस्टम) जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने का श्रम करावें।
6. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, समस्त संभाग,
7. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, समस्त जिला कार्यालय।
8. CCO, Sutra marketing and event LLP, Noida
9. राज्य प्रभारी, Sutra marketing and event LLP, जयपुर।
10. SPPP, पॉर्टल राजस्थान।
11. नोटिस बोड, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।

–ह.–
(हेम पुष्पा शर्मा)
निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
जयपुर।

RajKaj Ref No.:
20941306

Signature valid
Digitally signed by Hem Pushpa Sharma
Designation : Director
Date: 2026.03.12 13:33:58 IST
Reason: Approved